



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072023-247468
CG-DL-E-19072023-247468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]
No. 499]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2023/आषाढ 28, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2023/ASHADHA 28, 1945

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2023

फा. सं. सीए/498/2023/म.स.अ.ए(विनियम).—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां) की धारा 21 के साथ पढी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 जो भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में दिनांक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2023 होगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के विनियम 4 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :-
(2) अभ्यर्थी को वास्तुकला में अभिक्षमता परीक्षा जो कि या तो एनटीए द्वारा संचालित "जेईई" या वास्तुकला परिषद् द्वारा संचालित "नाटा" को उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 11 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 23 मार्च 2021 तथा 30 जून 2022 को संशोधित हुए थे।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./289/2023-24]

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(STATUTORY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2023

F. No. CA/498/2023/MSAE(Regulations).—In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h) and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations 2020, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 11th August, 2020, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2023.
- (2) They shall come into force from the date of this publication in the official Gazette.
2. In the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020, in Regulation 4 for sub-regulation (2) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
“(2) The candidate needs to qualify an aptitude test in architecture conducted either by NTA (i.e. JEE) or “NATA” conducted by the Council of Architecture.”

Foot note : The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on 11th August, 2020 and amended on 23.03.2021 and 30.06.2022.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./289/2023-24]